

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किये गये अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 55 अम्बेडकर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं। नगर राजान्य

अभ्यर्थी का नाम सुरेश कुमार

पिता/ माता/ प्रति का नाम महावीर

उसका डाक पता मन्तेव-185 मीरानपुर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर (उ.प्र.)

उसका नाम 55 अम्बेडकर नगर... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र* (में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 77 में क्रम संख्यांक

..... 923 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम पर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उल्लेख है नाम है और हम इन नामनिर्देशित के लिए प्रतीक चिह्न अंगुलि प्रस्ताव करते हैं।


सुरेश कुमार

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	भकवा (पु) (सा)	67	587 ✓	रामसूरत	रामसूरत	19.4.2014
2	भकवा (पु) (सा)	72	915 ✓	राकेश कुमार	राकेश कुमार	19.4.2014
3	टाण्डा (सा)	215	1248 ✓	मेवालाल	मेवालाल	19.4.2014
4	टाण्डा (सा)	211	601 ✓	राम दौर	राम दौर	19.4.2014
5	भकवा (पु) (सा)	93	311 ✓	बलराम	बलराम	19.4.2014
6	कटेहरी (सा)	101	706 ✓	सियाराम	सियाराम	19.4.2014
7	भकवा (पु) (सा)	118	841 ✓	साधना	साधना	19.4.2014
8	भकवा (पु) (सा)	136	666 ✓	सत्य प्रकाश	सत्य प्रकाश	19.4.2014
9	भकवा (पु) (सा)	39	705 ✓	रवीन्द्र कुमार	रवीन्द्र कुमार	19.4.2014
10	भकवा (पु) (सा)	136	930 ✓	मनोरमा	मनोरमा	19.4.2014

ध्यान दें: प्रस्थापक के क्रम में निर्वाचन-लेख के दस निर्वाचक होने चाहिए।



भाग 3

मैं भाग 1 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने30..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ⁴ ~~साहित्यिक अधिकार पार्टी~~ दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) ~~आलोचिका~~ (ii) ~~सिद्धेश्वरी~~ (iii) ~~गैस सिलेन्डर~~ हैं।


(क) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।



* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो उ.प्र. राज्य के उस राज्य में के 55 अम्वेकन (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति है।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/ उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19.4.2014


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षदीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।


** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षदीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें:-


"मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समस्त,

रिटर्निंग आफिसर महोदय,
55 लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकरनगर।

AFFIX RS. 10 IN NO. 950894

प्रपत्र पत्र

[Faint, mostly illegible text in Hindi script, likely the body of a legal document or affidavit.]

उम्मीदवार है।
प्रपत्र संगत है।

[Handwritten signature]
प्रपत्रकर्ता

मै प्रपत्रकर्ता के हस्ताक्षर की पहचान
करता हूँ।

Sareesh Kumar
B. K. Pandey
NOTARY

[Handwritten signature]
7814114

[Handwritten signature]
15-4-14



UTTAR PRADESH

21AC 950895

समक्ष, रिटर्निंग ऑफिस महोदय,

AFFIX RS. 10 N.S.

55 लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकरनगर।



मैं सुरेश कुमार कुम्भीद्वार की लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 55 अम्बेडकरनगर

की उम्मीदवार हूँ।

प्रथम पत्र संलग्न है।

[Handwritten Signature]
प्रथम पत्र

Suresh Kumar
B. R. Pandey मैं प्रथम पत्र की हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ। *[Signature]*
NOTARY
15/4/14

[Handwritten Signature]
15/4/14

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)



55 अम्बेडकर नगर खाना-प

निर्वाचन क्षेत्र स

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकराभा

(सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र


भाग-क

मैं सुरेश कुमार **पुत्र/पुत्री/पत्नी महावीर आयु 30 वर्ष, जो स.नं. 185 मीरानपुर शिवपुर
अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी
हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं मौलिक अधिकार पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी
के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

मैं अपने नाम 5 अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 77 के क्रम सं 923



क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम
1	स्वयं सुरेश कुमार	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
2	पति या पत्नी प्रमिता	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित-1 बुद्धप्रिय राहुल	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित-2 श्रीती जीतमी	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित-3 स्वीती जीतमी	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं

सुरेश कुमार

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।


(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य ✓
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं *	लागू नहीं ✓

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है /हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है/पूर्वोक्त मद (i) के वर्णित मामलों से भिन्न।

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गयी अपील (अपीलों) आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास या दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

✓


निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास या दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की उन धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पणी 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन प्राप्तिकरण (5) में है।

टिप्पणी 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i) हाथ में नकदी	230000/-	60000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) बैंक खातों/जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते (सोसाइटी) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1111/- CBI अकबरपुर R/C No - 11044745318	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उत्तरदाता

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किरी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	लैना अकुप्रो 15 ग्राम - 48000/- 1/2 kg चांदी - 32000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य अस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	23117/-	88000/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में अस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिये।

क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
	कोई भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति) (संख्या)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कोई विनिधान

सुखकुमार

(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सुख कुमार

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

टिप्पणी : कृपया बैंक संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न (किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नान बकाया रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी शोध्य सरकारी आवक से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	किसी आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर) से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शुभ कुमार

	नगरपालिका/सम्पत्तिकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बिक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कोई शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लम्बित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति उपजीविका के ब्योरे:

(क) स्वयं.....दैनिक मजदूर

(ख) पति या पत्नी.....गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है- बी० ए० स्नातक बी० ए० स्नातक बी० स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अकबरपुर अठोइकर नगर (झिपु) उ० प्र०
(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्योरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया हो, का ब्योरा दें)

भाग-ख

(1) भाग-क (1) से (10) तक दिये गये ब्योरों का उद्धरण

1	अध्यर्थी का पूरा नाम	श्री/श्रीमती/कृ	<u>सुरेश कुमार</u>		
	घाके का पूरा पता		<u>म० न० 125, गोरानपुर अठोइकर नगर (झिपु) उ० प्र०</u>		
	निवाहन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		<u>उ० प्र० अठोइकर नगर (झिपु)</u>		
	राज्य सैन्योत्तक दल का नाम जिसमें अध्यर्थी को दर्ज किया है (अथवा 'सजन्त' लिखें)		<u>सामान्य एगोरानपुर पार्सी</u>		
	(i) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषवर्ष/अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न	शून्य			

सुरेश कुमार

6	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है			कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य			शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य			शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य			शून्य

8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	23117/-	88000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुसूचित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(क)	स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9 दायित्व

(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10 ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है-

(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
-----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

सुनील कुमार

(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------	--	-------	-------	-------	-------	-------

11

उच्चतम शैक्षिक अर्हता

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं और यह घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर के भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज की तारीख 15-4-14 को सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी

टिप्पणी- शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अन्तिम दिनांक को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी- शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी- सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो वधस्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी- अर्हता, आय, संपत्ति या कुलान्त्य रूप से शपथ-पत्र उल्लिखित होना चाहिए।


अभिसाक्षी

15-04-2014

भारतीय गैर न्यायिक


दस
रुपये

रु. 10



Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समस्त,

रिटरनिंग आफिसर महोदय,
55 लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकरनगर।

AFFIX Rs. 10 N.S.

21AC 950896

शपथ पत्र

शपथकर्ता सुरेश कुमार बौध के नाम से जानते पहचानते हैं।
शपथकर्ता सुरेश कुमार बौध के नाम से जानते पहचानते हैं।
शपथकर्ता सुरेश कुमार बौध के नाम से जानते पहचानते हैं।
शपथकर्ता सुरेश कुमार बौध के नाम से जानते पहचानते हैं।

धारा 3-यहोकि शपथी उक्त सम्बन्धों शपथ पत्र दे रहा है।

धारा 4-यहोकि शपथकर्ता लोक सभा क्षेत्र 55 अम्बेडकरनगर का पत्याशी है। शपथीका नाम सुरेश कुमार बौध सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया गया।

मैं शपथी शपथग्रहण करता हूँकि शपथ पत्रकी धारा

। ता मेरे नकी जान से सही व दुरुस्त है इसकी पुष्टि

किया तहसील परिसर अकबरपुरजनपद-अम्बेडकरनगर

आजीदनाक - 15.4.14

शपथकर्ता सुरेश कुमार बौध
AND VERIFIED PERSONS
NOTARIAL समक्ष अपना हस्ताक्षर।

शपथकर्ता सुरेश कुमार

Suresh Kumar
B. R. Dandley Adv
15.4.14 15/4/14